

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (दिनांक 18.02.2021)

प्रस्तावित परियोजना इस प्रभाग के अन्तर्गत पलिया-त्रिकोलिया-खजुरिया मार्ग (एस0एच0-101) किमी0 नं0. 117 चैनेज संख्या-117.800 के मध्य दायी पटरी पर गाटा संख्या 193 स्थित ग्राम पैड़िया, थाना सम्पूर्णनगर, तहसील पलिया, जिला खीरी (उ0प्र0) में स्थापित होना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास मार्ग में 0.04674 हे०. संरक्षित वन भूमि प्रभावित है, जिसका याचक विभाग के डीलर के साथ दिनांक 18.02.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है तथा कोई पेड़ प्रभावित नहीं है।

इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास मार्ग में 0.04674 हे०. संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावित है। पलिया-त्रिकोलिया-खजुरिया मार्ग की दोनों पटरियों भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित है।

अतः प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास मार्ग में प्रभावित होने वाली उक्त संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा मांग न्यूनतम पायी गयी।



(सुखविन्दर सिंह चीमा)

पुत्र श्री मूला सिंह निवासी ग्राम पैड़िया फार्म,  
कमलापुरी, थाना-सम्पूर्णनगर,  
जिला लखीमपुर खीरी।



(राम प्रताप सिंह रौतेला)

सहा० वन संरक्षक,  
प्रभारी क्षेत्रीय वनाधिकारी,  
सम्पूर्णनगर रेंज।

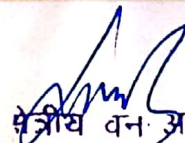
प्रस्तावित स्थल



← डामर रोड →



प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तर खीरी वन प्रभाग/  
उप निदेशक (बफर जोन)  
समा टाइगर रिजर्व  
लखीमपुर-खीरी



क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सम्पूर्णनगर रेंज  
उत्तर खीरी वन प्रभाग